सार्वजनिक सीलबन्द निविदा सूचना

नगर निगम, क्षेत्रान्तर्गत स्थित ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों को प्रीमियम के आधार पर आबंटन करने हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 29.07.2024 की अपरान्ह 2.00 बजे तक सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्ते किसी भी कार्यदिवस में नगर निगम के भूमि अनुभाग कक्ष सं0–23 में सम्बन्धित पटल से निर्धारित शुल्क अदा करने के उपरान्त प्राप्त कर सकते है, तथा नगर निगम देहरादून की वेबसाईट-www.nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध है। निविदायें दिनांक 29.07.2024 को गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेंगी।

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक 2104/भूमि0–2024–25, दिनांक 08/07/2024

प्रतिलिपिः–

1. विज्ञापन व्यवस्थापक, हिन्दी दैनिक राष्ट्रीय सहारा पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन उत्तराखण्ड संस्करण के आगामी अंक में कराते हुए बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. विज्ञापन व्यस्थापक, द पाईनियर अंग्रेजी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन उत्तराखण्ड संस्करण के आगामी अंक में कराते हुए बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. श्री मनीष पन्त आई0टी0 आफीसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम देहरादून की वेबसाईट www.nagarnigamdehradun.com पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

सीलबन्द निविदा के आधार पर दुकान आबंटन प्रपत्र

विवरण पुस्तिका/प्रस्तावित शर्ते/नियमावली

नगर निगम देहरादून द्वारा निर्मित ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना, के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून द्वारा निर्मित दुकानों की प्रीमियम के आधार पर आबंटन हेतु।

1. **योजना का नामः–** ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना, नगर निगम, देहरादून द्वारा निर्मित दुकानों को प्रीमियम के आधार पर आबंटन हेतु पंजीकरण।

2. **योजना का विवरणः–**

   उक्त योजना नगर निगम देहरादून के स्वामित्व/प्रबन्धन भूमि पर निर्मित है। दुकानों का निर्माण बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार हेतु एक स्वच्छ खुला, समुचित पार्किंग सहित, सुगम आवागमन से युक्त, प्रदूषण मुक्त, आदर्श प्रकार के व्यवसायिक काम्पलैक्स में स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। उक्त के विकसित होने से ओल्ड मसूरी रोड कुठालगेट पर एक अच्छे, विविध प्रकार की दुकानों से युक्त एक एकीकृत मार्केटिंग काम्पलैक्स की सुविधा आम नागरिकों को प्राप्त होगी। उक्त योजना के अन्तर्गत 3 दुकाने (10 फिट X 15 फिट) एवं 5 दुकाने (10 फिट X 13.9 फिट) की कुल 08 दुकाने भू–तल पर निर्मित की गयी है।

3. **दुकानों का मूल्यः–**ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत, निर्मित दुकानों का रिर्जव प्रीमियम/मासिक किराया जो कि नगर निगम द्वारा मूल्यांकित कर निर्धारित किया गया है, प्रपत्र–2 में दुकानवार दर्शित है, उक्त रिर्जव लागत से कम पर सम्पत्ति/दुकान का आबंटन नही किया जायेगा। प्रपत्र–2 में अंकित पंजीकरण धनराशि आरक्षित प्रीमियम मूल्य का 10 प्रतिशत है।

4. **किरायाः–** उच्चतम् निविदादाता/आबंटी द्वारा मासिक किराया देय होगा जो प्रपत्र–2 में अंकित है। किराया कब्जा प्राप्त होने की तिथि से देय होगा, किराये में प्रति 2 वर्ष के उपरान्त 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

5. **पंजीकरण धनराशिः–**प्रपत्र–2 में दुकानवार पंजीकरण धनराशि प्रदर्शित है जो तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. **भुगतान योजनाः–**उच्चतम् निविदादाता/आबंटी व्यक्ति के द्वारा 10 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क से शेष बची धनराशि दो माह के अन्दर नगर निगम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

7. **दण्ड ब्याजः–** उच्चतम् निविदादाता/आबंटी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित तिथि तक किराये का भुगतान न करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दण्ड ब्याज के रूप में देना होगा। तीन माह तक लगातार किराया जमा न करने की दशा में नगर निगम, देहरादून को यह अधिकार होगा कि वह किया गया आबंटन निरस्त करते हुए बकाया पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही करे तथा आरक्षित प्रीमियम मूल्य जब्त कर ली जायेगी।

8. **पात्रताः–**

   (क) निविदा में प्रतिभाग करने वाले आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिये।

   (ख) निविदा में उत्तराखण्ड का कोई भी स्थाई निवासी प्रतिभाग कर सकता है।

9. **आवेदन कैसे करेंः–** ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना, देहरादून के अन्तर्गत किये जा रहे निर्माण में से दुकानों का आबंटन प्रीमियम की आबंटन पद्धति से निविदा के आधार पर किया जायेगा।

आवेदन प्रपत्र नगर निगम की वेबसाईट–www.nagarnigamdehradun.com पर उपलब्ध होगा। आवेदकर्ता ओल्ड मसूरी रोड पर निर्मित दुकानों का स्वंय स्थलीय निरीक्षण कर सीलबन्द निविदा में प्रतिभाग कर सकते है। आवेदन पत्र का मूल्य रू0–500/– 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त होगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित तकनीकी दस्तावेजों को विधिवत् रूप से पूर्ण स्वहस्ताक्षरित होना आवश्यक है। विधिवत् रूप से मांगे गये सभी दस्तावेज एवं आवेदन पत्र के प्रपत्र–2 में अंकित पंजीकरण राशी जो नगर निगम देहरादून के नाम ड्राफ्ट अथवा नगद जमा कराना अनिवार्य होगा।

निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं समय तक नगर निगम भूमि अनुभाग मे निर्धारित तिथि .... की अपरान्ह 2.00 बजे तक जमा कराया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा। उच्चतम् निविदादाता/व्यक्ति को अन्तिम आबंटन का अधिकार तब तक प्राप्त नही होगा जब तक पूर्ण देयता समाप्त न हो जाये। पूर्ण आबंटन तभी माना जायेगा जब उच्चतम् निविदादाता नगर निगम की ओर से अन्तिम आबंटन पत्र प्राप्त न कर ले और उसकी सभी औपचारिकतायें पूरी न कर ले।

9.1 निविदा में प्रतिभाग करने हेतु तकनीकी दस्तावेज/अभिलेख।

(क) आयु सम्बन्धी साक्ष्य जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड/हाई स्कूल प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जो कि 6 माह से पुराना न हो और जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो।

(ग) निविदा प्रपत्र क्रय करने सम्बन्धी रसीद एवं डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(घ) उत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ड.) निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र रू0–10 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर।

(च) निविदा में प्रतिभाग करते समय पंजीकरण धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं धनराशि वापसीः–

10.1 उच्चतम् निविदादाता/आबंटी के द्वारा 10 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क के पश्चात सम्पूर्ण धनराशि अर्थात निविदा में उच्चतम् निविदा की शेष धनराशि दो माह में अथवा एक मुश्त नगर निगम कार्यालय में जमा करानी होगी।

10.2 निविदा के माध्यम से उच्चतम् निर्धारित धनराशि को दो माह में जमा न कराने की दशा में नगर निगम देहरादून को यह अधिकार होगा कि वह किया गया तदर्थ आबंटन निरस्त करते हुए उच्चतम् निविदादाता की दरों पर द्वितीय उच्चतम् निविदादाता को दी जा सकती है।

10.3 उच्चतम् निविदादाता द्वारा दुकान का कब्जा लेने के उपरान्त दुकान का किराया या अन्य विधिक देयकों का भुगतान न करने पर एवं शर्तो के उल्लंघन पर नगर निगम द्वारा जमा पंजीकरण/प्रीमियम धनराशि को जब्त करने के साथ–साथ निरस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए दुकान का कब्जा नगर निगम द्वारा ले लिया जायेगा।

10.4 निविदा के माध्यम से आबंटन पत्र/कब्जा अधिपत्र की तिथि से दो माह में कब्जा प्राप्त न करने पर आबंटन/पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

11. मिथ्या आवेदन एवं तथ्यों को छुपानाः– यदि यह पाया जाता है कि निविदादाता/आवेदनकर्ता द्वारा गलत सूचनायें दी गयी है अथवा उसने किन्ही वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो आबंटी के विरूद्ध विधिवत् कार्यवाही कर पंजीकरण एवं प्रीमियम धनराशि जब्त करते हुए दुकान का आबंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाली समस्त निविदा/आबंटन में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।

12. निविदा आबंटन प्रक्रियाः–

12.1 निविदादाता को तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा पृथक–पृथक लिफाफो में रखकर उन पर **"तकनीकी निविदा" व "वित्तीय निविदा"** स्पष्ट रूप से अंकित कर दोनों लिफाफों को सीलबन्द कर एक अलग बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर लिफाफे पर योजना का नाम "**ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना**" तथा दुकान नम्बर अंकित कर सीलबन्द निविदा अन्तिम तिथि व निर्धारित समय तक रजिस्ट्रर्ड डाक अथवा नगर निगम भूमि अनुभाग कक्ष सं0–23 में विज्ञापन/दुकान आबंटन पटल संरक्षित निविदा बाक्स में निर्धारित तिथि व समय तक उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी।

12.2 निविदा प्रपत्र आफलाईन किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से निर्धारित शुल्क अदा करने के उपरान्त तथा ऑनलाईन नगर निगम की वेबसाईट www.nagarnigamdehradun.com से डाऊन लोड कर प्राप्त कर सकते है, परन्तु ऑनलाईन निविदा प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क के रूप में निर्धारित धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित नगर निगम देहरादून के नाम देय होगा को तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा मे निविदादाता की निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

12.3 ओल्ड मसूरी रोड की दुकानों के आंबटन हेतु निविदा में प्रतिभाग करने वाला व्यक्ति प्रारूप–2 के अनुसार दुकान सं0–3 से 10 तक एक या एक से अधिक दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन कर सकता है। निविदादाता को सील बन्द निविदा के साथ पृथक–पृथक दुकानों हेतु प्रारुप 2 में अंकित पजीकरण धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि निविदादाता की यदि प्रत्येक दुकान में उच्चतम् निविदा प्राप्त होती है तो उसे समस्त दुकानों के प्रीमियम का भुगतान दो माह में करना होगा। निविदादाता द्वारा यदि एक के अतिरिक्त अन्य दुकानों को प्राप्त करने से इनकार किया जाता है तो उसके द्वारा दी गयी समस्त पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

12.4 तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। जिसमें टाईप–1 की दुकान सं0/टाईप–2 की दुकान सं0 के आधार पर कुल 8 दुकानों में आमंत्रित सीलबन्द निविदा में दुकान संख्यावार "उच्चतम् बोलीदाता की निविदा स्वीकार की जायेगी।

12.5 आरक्षित प्रीमियम से कम पर निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

असफल आवेदकः– दुकान निविदा आबंटन प्रक्रिया में असफल निविदादाता/आवेदक अपनी पंजीकरण धनराशि (डिमांड ड्राफ्ट के रूप में) संलग्न को वापसी हेतु आवेदन नगर

आयुक्त नगर निगम देहरादून के समक्ष 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है।

13. कब्जाः– निविदादाता/आबंटी द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने पर आबंटी को आबंटन पत्र के अनुसार पूर्ण धनराशि एवं 15 वर्ष के लिये किराया अनुबन्ध निष्पादित करने पर नगर निगम देहरादून द्वारा दुकान का कब्जा आबंटी को दे दिया जायेगा। 15 वर्ष पश्चात पुनः अनुबन्ध नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

14. दुरूपयोग/परिवर्धन/परिर्वतनः–यह कि निविदा आबंटन केवल भू–तल से सम्बन्धित दुकानों के लिये ही है अर्थात दुकान की छत, सामुदायिक सुविधाओं, खुला क्षेत्र, सीढ़िया, गैलरी बरामदा, पार्किंग आदि पर स्वामित्व नगर निगम, देहरादून का ही रहेगा तथा यह सार्वजनिक उपयोग का क्षेत्र रहेगा। इस पर किसी प्रकार से दुकानदार/दुकानदारों का भौतिक अथवा वैधानिक स्वामित्व नही होगा तथा इनका व्यक्तिगत् प्रयोग भी वर्जित रहेगा। निविदादाता जिस किसी दुकान की भी अधिकतम् निविदा लगायेगा, नियमानुसार उसे दुकान आबंटित किये जाने सम्बन्धी स्वीकृति दी जायेगी, आबंटी केवल उसी दुकान का प्रयोग अपने प्रयोजनार्थ कर सकता है। प्रथम तल अर्थात छत पर किसी प्रकार का स्वामित्व नही होगा एवं प्रथम तल अर्थात छत नगर निगम की सम्पत्ति होगी।

15. निविदादाता जिसको दुकान आबंटित की जायेगी, वह दुकान में किसी प्रकार का विभाजन/बदलाव करने से पूर्व नगर निगम देहरादून से अनुमति प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त आबंटी व्यक्ति स्वंय को आबंटित दुकान किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर नही देगा। यदि आबंटी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दिया जाता है तो नगर निगम देहरादून को उसके आबंटन को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

16. उक्त के अन्तर्गत दुकानों के आबंटन के दो वर्ष पश्चात किराये को हस्तान्तरणीय बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसके अनुसार हस्तान्तरित/कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा तत्समय आरक्षित प्रीमियम गणना कर प्राप्त दरों का 10 प्रतिशत नगर निगम कोष में जमा कराया जाना प्रस्तावित है। तदोपरान्त ही हस्तान्तरण अभिलेख त्रिपक्षीय किराया अनुबन्ध निष्पादन कि कार्यवाही की जायेगी। उक्त के उपरान्त जब–जब आबंटी द्वारा हस्तान्तरण किया जायेगा, उक्त समय 25 प्रतिशत किराया वृद्धि की जायेगी।

17. प्रतिबन्धित व्यापार का प्रकारः–उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदूषण बढ़ाने वाले तथा आम नागरिकों, महिलाओं व बच्चों को आपत्तिजनक लगने वाले निम्नलिखित व्यवसायों हेतु दुकान आबंटन किया जाना अनुमन्य नही होगा।

18.1 सीमेन्ट, निर्माण सामग्री आदि का गोदाम।
18.2 ऑयल, ल्यूब्रीकेन्ट, ग्रीस आदि।
18.3 स्कूटर, कार आदि की रिपेयर हेतु वर्कशॉप।
18.4 किसी भी प्रकार की मीट, मुर्गी पालन, मांसाहार क्रय विक्रय आदि।
18.5 एक्सप्लोसिव सम्बन्धी आपत्तिजनक सामग्री।
18.6 कबाड़ी का कार्य।
18.7 अन्य कार्य जो शासन द्वारा बिना लाईसेन्स के प्रतिबन्धित किये गये है।

प्रपत्र–1 बी0ओ0क्यू0

योजना का नाम	दुकानों का प्रकार व दुकान नं0			नगर निगम द्वारा प्रति दुकान आरक्षित प्रीमियम	दुकान सं0	उच्चतम निविदादाता द्वारा निविदा गयी धनराशि
ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना	टाईप–1 (10 फिट x 15 फिट)	दु0नं0	3	रू0–17,70,646/–	3	
		दु0नं0	4		4	
		दु0नं0	5		5	
	टाईप–2 (10 फिट x 13.9 फिट)	दु0नं0	6	रू0–18,15,277/–	6	
		दु0नं0	7		7	
		दु0नं0	8		8	
		दु0नं0	9		9	
		दु0नं0	10		10	

मै0 उक्त दुकान सं0 .... रू0–.. की धनराशि में लेने का इच्छुक हूँ।

दिनांकः–................................

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र–2

ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत भू–तल पर निर्मित दुकानों का विवरण

दुकान सं0	लम्बाई फिट में	गहराई फिट में	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	मासिक किराया	पंजीकरण धनराशि	प्रीमियम की धनराशि
3	10 फिट	15 फिट	13.94 वर्गमीटर	3500 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	रू0–177065	1770646
4	10 फिट	15 फिट	13.94 वर्गमीटर	3500 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	रू0–177065	1770646
5	10 फिट	15 फिट	13.94 वर्गमीटर	3500 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	रू0–177065	1770646
6	10 फिट	13.9 फिट	12.91 वर्गमीटर	3500 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	रू0–181528	1815277
7	10 फिट	13.9 फिट	12.91 वर्गमीटर	3500 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	रू0–181528	1815277
8	10 फिट	13.9 फिट	12.91 वर्गमीटर	3500 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	रू0–181528	1815277
9	10 फिट	13.9 फिट	12.91 वर्गमीटर	3500 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	रू0–181528	1815277
10	10 फिट	13.9 फिट	12.91 वर्गमीटर	3500 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	रू0–181528	1815277

आवेदन पत्र

नगर निगम, देहरादून।

ओल्ड मसूरी रोड स्थित नगर निगम, की व्यवसायिक दुकानों की प्रीमियम पर आबंटन हेतु।

भाग–1

1. योजना का नाम ....
2. दुकान सं0 ....
3. दुकान का क्षेत्रफल ....
4. दुकान का आरक्षित प्रीमियम ....
5. बोलीदाता का नाम ....
6. पिता/पति/फर्म का नाम/कम्पनी ....
7. लिंग ....
8. स्थाई पता ....
9. फोन नं0 ....
10. ई0–मेल ....
11. वैवाहिक स्थितिः– विवाहित .... अविवाहित ....
12. पैन नं0–..
13. वार्षिक आय ....
14. एक मुश्त/दो माह की किस्तों में ....
15. नामित व्यक्ति का नाम ....
16. आवेदक से सम्बन्ध ....
17. पंजीकरण शुल्कः–1. पंजीकरण धनराशि ....
    2. ड्राफ्ट नं0ः–..
    3. दिनांक ः–..

दिनांकः–..............................

आवेदक के हस्ताक्षर

(केवल कार्यालय के लिये)

शपथनामा

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

नाम श्री / श्रीमती / कुमारी ....
....
पिता / पति का नाम ....
व्यवसाय का विवरण ....
....पूर्ण पता ....
....
आयु ....
मै .... सशपथ निम्नलिखित बयान करता / करती हूँ।

1. यह कि मैने ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत दुकान सं0 .... भू–तल के आबंटन के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक .... मय वांछित अग्रिम पंजीकरण धनराशि रू0 .... ड्राफ्ट सं0 .... बैक का नाम .... दिनांक .... जमा किया है।
2. यह कि प्रस्तावित दुकान में होने वाला व्यवसाय जो नियमावली में प्रतिबन्धित हो नही करूंगा / करूंगी।
3. यह कि मै बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से कम नही है। (प्रमाण पत्र संलग्न)
4. अ–यह कि मै प्रार्थना पत्र अपने लिये दे रहा / रही हूँ और इसमे किसी प्रकार बेनामी अधिकार शामिल नही है।
   ब–यह कि कर दाता हूँ / नही हूँ इनकम टैक्स परमानेन्ट एकाउन्ट नं0 .... है तथा वित्तीय वर्ष .... को मेरी वार्षिक आय रू0–............................. है।
5. यह कि मै प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी प्रकार से उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर अथवा किश्तों / किराये के शेष रह जाने पर नगर आयुक्त / अनुश्रवण समिति को यह आबंटन समाप्त करने का पूर्ण अधिकार है।
6. यह कि यदि समिति द्वारा दुकान आबंटित होने पर मुझसे मांगा गया रूपया जमा न करू अथवा दुकान का अनुबन्ध पत्र न कराऊं अथवा निर्धारित तिथि पर दुकान का कब्जा न लूॅ, अथवा समिति द्वारा की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूॅ तो मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त धन को उपरोक्त विवरण के अनुसार समिति जब्त करके दुकान तदर्थ आबंटन रद्द कर सकती है तथा दुकान पर अपना कब्जा प्राप्त कर सकती है।

शपथकर्ता